प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.08.2026

- **थाना देवराहट पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 06 माह से वांछित चल रहे ₹ 25,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम, खुलासे तथा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 112/26 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट** में अभियुक्त सुरजीत सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी सलेमपुर थाना राजपुर कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष पिछले 06 माह से वांछित चल रहा था। उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष देवराहट द्वारा की जा रही है । माननीय न्यायालय एडीजे-5 द्वारा दिनांक 30/07/26 को अभियुक्त का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस द्वारा अथक प्रयास व पतारसी / सुरागसी द्वारा भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी । इस कारण पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा ₹ 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था । जिसमें थाना देवराहट पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए दिनांक 13.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को गौरी मोड़ थाना क्षेत्र देवराहट से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. सुरजीत सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी सलेमपुर थाना राजपुर कानपुर देहात उम्र करीब 25 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुअ0सं0 283/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मुअ0सं0 284/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मुअ0सं0 285/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मुअ0सं0 027/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।
5. मुअ0सं0 060/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मुअ0सं0 112/2026 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना देवराहट पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष/विवेचक श्री सौरभ राणा,
2. मु0आ0 पवन कुमार,
3. आ0 भूपेंद्र,